न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 315/23 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/340)

1. रामदयाल } पुत्रान हरजी
2. प्रेमराज
3. धापू बेवा हरजी जाति धोबी — निवासी फूसोदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
4. रामजीलाल } पुत्रान रामदेवा
5. रामनिवास
6. रामप्रसाद

............अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार सवाईमाधोपुर।
2. उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।

.... **रैस्पोंडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 31.03.1981 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 59/81 राज0 सरकार बनाम बजरंगा वगैरह।

उपस्थितिः—

श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः— 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.03.1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट को दिनांक 05.11.1975 को आवंटन अधिकारी (उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर) ने खसरा नम्बर 81/2 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर ने जिलाधीश सवाईमाधोपुर के पत्रांक प.3 ( ) राजस्व/विविध/77/6565 दिनांक 14.12.1977 द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान आये तथ्यों के आधार पर अपने पत्रांक 2228/विविध/80 दिनांक 14.11.1980 द्वारा तहत अदालत को यह अवगत कराया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी ने आवंटन के बाद भूमि में अभी तक काश्त नहीं की है जो राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया है इसलिए अपीलान्ट को सन 05.11.1975 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही यह मानते हुये कि...'' उपखण्डाधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवंटी को

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

भूमि का आवंटन 1975 में हुआ था तथा आवंटन के बाद नियमानुसार कब्जा भी दे दिया गया है किन्तु आवंटी ने आवंटन के बाद भूमि को अभी तक काश्त नहीं किया है जैसा कि रिपोर्ट उपजिलाधीश व नकल खसरा गिरदावरी से विदित है। आवंटी/अपीलान्ट ने भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंअन नियम 1970 के नियम 14(3) की अवहेलना की गई है। आवंटन शर्तों का उल्लघंन किये जाने के कारण आवंटी के हक में किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है वह निरस्त किये जाने योग्य है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ,अपीलान्ट के हक में दिनांक 05.11.1975 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.1981 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट सीमान्त कृषक है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने वर्ष 1975 में भूमि की किस्म राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित करने के पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के यहां आवंटन हेतु उद्घोषणा पत्र जारी करने पर 5 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किया जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की। जिसमें पटवारी हल्का ने वरवक्त आवंटन भूमि को बारानी--3 बताया तथा आवंटन के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के संबध में अपनी रिपोर्ट बनाकर आवंटन सलाहकार समिति को प्रस्तुत की। आवंटन सलाहकार समिति ने अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर विचार कर अपीलान्ट को आवंटन का पात्र मानकर आवंटित करने की सिफारिश की जिस पर प्रार्थी को दिनांक 05.11.1975 को आवंटन अधिकारी ने खसरा नम्बर 81/2 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट को आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का ने उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया जो आज भी कब्जा बदस्तूर जारी है। इस बात पर गौर किये बिना उपरान्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन नियमों के विपरीत जाकर पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवायी का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है तथा एक मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार मानकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। रैस्पोडेन्ट व पटवारी हल्का ने असत्य तथ्य बतलाकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य होने से गांव के व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को काश्त नहीं करने देने बाबत अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया था जिस पर प्रशासन अधिकारी व पुलिस द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटी को मौके पर कब्जा दे दिया गया राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया तब से लेकर आज दिनांक तक आवंटी काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। कब्जे के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा गिरदावरी पेश की गई थी। जिसकी कोई विवेचना तहत अदालत ने अपने निर्णय में नहीं की है। प्रार्थी/अपीलान्ट अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार पेशा भूमिहीन व्यक्ति है। आवंटन नियमों के मुताबिक उद्घोषणा के पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया था तथा आवंअन के समय भूमि की किस्म सिवायचक बारानी 3 थी, परन्तु तहत न्यायालय ने उक्त आराजी को चारागाह की भूमि मानकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवंटन गलत रूप से खारिज किया है। जबकि तहसीलदार को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति में वे स्वयं सदस्य थे। इस प्रकार एक तरफ तो तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को आवंटन किये जाने की सिफारिश की गई है और दूसरी ओर आवंटन के लगभग 40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 05.11.1975 को खोला गया है, जो स्वयं तहसीलदार द्वारा खोला गया है। इसके बाबजूद गलत तथ्यों पर आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्ड पीठ द्वारा पारित कई निर्णयों व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कई नजीरों में स्पष्ट मत पारित किया है कि लम्बे समय पर्वू किये गये आवंटन को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे आवंटी के हक व अधिकार प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होते है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलान्ट को आवंटित भूमि को चारागाह भूमि मानकर आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि वर्ष 1973–1974 व वर्ष 1975 में राज्य सरकार के आदेश से एकमुश्त चारागाह भूमि को किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये थे तथा राज्य सरकार के आदेश के बाद भूमि की किस्म वारानी दर्ज की गयी थी। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भूमि की किस्म बारानी 3 अंकित है तथा जो नामान्तरकरण संख्या 46 जो स्वयं तहसीलदार द्वारा खोला गया है उस नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 5 में सिवायचक होना दर्शाया गया है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने जल्दबाजी में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के उद्देश्य से विधि के विपरीत जाकर पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को आवंटन नियमानुसार किया गया है तथा आवंटन भूमि पर वर्ष 1975 से अपीलान्ट/प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा वरवक्त आवंटन भूमि की किस्म बारानी 3 थी उक्त तथ्य पेश करने हेतु अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाता तो

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय को वास्तविकता बतलाता, लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही जो आदेश दिया है, वह निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 18.08.2020 को अपीलान्ट पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि सिवायचक राजकीय हो गई है तब अपीलान्ट ने न्यायालय में जाकर उसी दिन जानकारी कराकर नकल हेतु दिनांक 18.08.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त निर्णय की नकल दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त हुई। निर्णय की नकल प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। फिर भी अपील पेश करने में हुए विलम्बं को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.03.1981 को अपास्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलान्ट का आवंटन बहाल किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.1981 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 04.09.2020 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2020 को पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल हेतु जाने पर होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.08.2020 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 25.08.2020 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो दिनांक 25.03.1980 को उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर रामदेवा धोबी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर की वह भूमिहीन व बेरोजगार होने के कारण बच्चों को पालने के लिए सरकार से सन् 1975 में दिनांक 05.11.1975 को खसरा नंबर 81/4 में से 5 बीघा जमीन आवंटित हुई थी और कब्जा दिया गया था। 2 साल तक लगान का भुगतान किया तथा 1976 में जमीन में गेहू तथा सरसों की फसल भी काश्त की थी। वर्ष 1977 में गांव के व्यक्तियों द्वारा फसल को नष्ट करा दिये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किये थे। उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों का उल्लेख करते हुए आवंटित भूमि पर काश्त करवाने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पत्र क्रमांक 2228 दिनांक 14.11.1980 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि आवंटन से पूर्व ग्राम फूसौदा में 219 बीघा 17 विस्वा चारागाह भूमि थी और मवेशियों की संख्या 404 थी। गांव में मवेशियों की संख्या को देखते हुए 808 बीघा भूमि चारागाह होनी चाहिए थी, जो आवंटन के पूर्व से ही अपर्याप्त थी। विवादित भूमि की किस्म चारागाह थी। इस भूमि के चारों तरफ गंभीर नदी बहती है। इस कारण चारों तरफ पानी भरने के कारण चारागाह ही एकमात्र ही ऐसा स्थान है, जहां गांव के जानवर खड़े रहते हैं। आवंटन के पश्चात ग्रामवासियों को कठिनाई महसूस हो रही है। तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि गांव के तालाब जिसमें जानवर पानी पीने आते हैं, चारागाह में होकर जाने का रास्ता है। इस कारण जानवरों को पानी पीने में रूकावट हो गई है। चारागाह भूमि का परिवर्तन ग्राम की समस्या को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। इसलिए ग्रामवासियों में आक्रोश है व किये गये आवंटन को निरस्त कराना चाहते हैं। चारागाह भूमि आवंटन व भूमि की किस्म परिवर्तन रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि आवंटी को बिना किस्म परिवर्तन के भूमि का आवंटन किया गया है, जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के नियम 16 तथा भूमि आवंटन नियम के तहत वर्जित है। कमेटी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा शामिल कराई गई खसरा गिरदावरी से आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात काश्त नहीं करना भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की अवहेलना को दर्शाता है। इस आधार पर भूमि परिवर्तन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा सिफारिश की गई है। अतः आवंटी नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त पत्र प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.1981 को पारित किया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर अपीलान्ट की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण कृषि

प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की अवहेलना मानकर अप्रार्थी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। वकील अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत लिखित बहस में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त आवंटन 40 वर्ष के बाद निरस्त किया गया है, जो कि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से सही नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट को विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1975 में किया गया है तथा उप जिला कलक्टर द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.1980 को प्रस्तुत किया गया, जो कि आवंटन के 5 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट/आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने व आवंटित भूमि की किस्म चारागाह होने तथा आवंटन से पूर्व किस्म परिवर्तन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। अपीलान्ट/प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस आवंटित भूमि की किस्म चारागाह से सिवायचक किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का उल्लेख किया है, परन्तु इस तरह का कोई आदेश अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी ओर बहस में यह भी उल्लेख किया है कि आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक अपीलान्ट/प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है, परन्तु इसके समर्थन में किसी तरह की कोई खसरा गिरदावरी या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। इसी आधार पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.1981 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में ग्राम फूसौदा के खसरा नंबर 81/2 रकबा 5 बीघा का दिनांक 05.11.1975 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की आज्ञा दी है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आने के कारण अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.1981 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर